Yojna IAS
C-32 Noida Sector-02
Uttar Pardesh (201301)
Contact No. +8595907569

CURRENT AFFAIRS

Date - 21 Feb 2022

SEED योजना

- आपने अपनी यात्रा के दौरान अक्सर लोगों को रेलगाड़ियों में गाना बजाते या नाचते हुए देखा होगा। इसके अलावा आपने सभी चौराहों या नुक्कड़ पर सपेरे, बंजारे या मदारियां देखी होंगी।
- क्या आपने कभी सोचा है कि ये लोग कौन हैं? उनका इतिहास क्या है, वे अपने जीवन में ऐसा क्यों कर रहे हैं और उनके जीवन के उत्थान के लिए हमने या सरकार ने क्या किया?
- दरअसल, ब्रिटिश सरकार के दौरान वर्ष **1871** में एक कानून आया जिसे आपराधिक जनजाति अधिनियम, **1871** कहा गया।
- पूर्वाग्रह के कारण लगभग **200** समुदायों को इस कानून के तहत 'वंशानुगत अपराधी' माना गया, क्योंकि इनमें से कुछ लोगों ने लूटपाट और स्नैचिंग आदि के माध्यम से अपना जीवन

व्यतीत किया। इस प्रकार ये समुदाय निगरानी, कारावास और घोर भेदभाव का शिकार हो गए।

- उस समय के नीति निर्माताओं का मानना था कि अपराध एक अनुवांशिक गुण है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतः ही स्थानांतरित हो जाता है। बाद में, जब देश स्वतंत्र हुआ, तो वर्ष **1949** में एक अखिल भारतीय आपराधिक जनजाति जांच समिति का गठन किया गया।
- इस समिति की सिफारिश के आधार पर **1952** में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस कानून को हटा दिया गया था। जिसके बाद ये गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के रूप में जाने जाने लगे।
- ये लोग कई तरह के व्यवसायों में काम करते हैं जैसे चरवाहा, छोटे जानवरों का शिकार करना, भोजन इकट्ठा करना, नृत्य करना, गाना गाना, कलाबाजी करना और सपेरा और मदारी आदि।
- वे खानाबदोश जीवन बन गए क्योंकि उस समय वे पुलिस-प्रशासन आदि से बचने के लिए अपना ठिकाना बदल लेते थे। कभी-कभी आजीविका की तलाश में वे अपना निवास भी बदलते रहते थे।
- उदाहरण के लिए, जब किसी विशेष क्षेत्र की घास को जानवरों ने चराना समाप्त कर दिया, तो वहां का पशुचारक समुदाय किसी अन्य स्थान पर चला गया।
- स्वाधीनता के बाद समय-समय पर सरकारों द्वारा उनके कल्याण के लिए कई कदम भी उठाए गए, लेकिन उनकी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया।
- इस तरह ये लोग सबसे अधिक उपेक्षित, हाशिए पर रहने वाले और आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदाय बन गए। वे पीढ़ियों से गरीबी का जीवन जीने को मजबूर हैं। ऐतिहासिक रूप से उनकी कभी भी निजी भूमि या घर के स्वामित्व तक पहुंच नहीं थी।
- अब सवाल यह उठता है कि हम आज अचानक इस समुदाय के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। दरअसल, **16** फरवरी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने **"DNTs** के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना" लॉन्च की है।
- इस योजना को संक्षेप में **SEED** कहा जा रहा है। इन समुदायों के कल्याण के लिए शुरू की गई इस योजना के मुख्य चार घटक हैं –
    - इन समुदायों के उम्मीदवारों को अच्छी गुणवत्ता वाली कोचिंग प्रदान करना ताकि वे सिविल सेवा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और एमबीए आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रवेश ले सकें।
    - आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से इन समुदायों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना।
    - प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उनके आवास की व्यवस्था करना
    - डीएनटी/एनटी/एसएनटी सामुदायिक संस्थानों के छोटे समूहों को बनाने और मजबूत करने के लिए सामुदायिक स्तर पर आजीविका पहल को सुगम बनाना। बता दें कि डीएनटी यानी डीनोटिफाइड ट्राइब्स, एनटी यानी नोटिफाइड ट्राइब्स और एसएनटी यानी सेमी नोटिफाइड ट्राइब्स।
- इस योजना के तहत, **2021-22** से **2025-26** तक, **5** वर्षों की अवधि में लगभग **200** करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

Yojna IAS

- योजना को लागू करने का काम यानी इसकी नोडल एजेंसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा बनाई गई है.
- इस विभाग ने योजना को लागू करने के लिए एक पोर्टल भी बनाया है। इस पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी अपना पंजीकरण कराने के साथ-साथ अपने आवेदन की वास्तविक स्थिति को भी ट्रैक कर सकेंगे।
- इसके माध्यम से लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में भुगतान किया जा सकता है। इसके अलावा, यह पोर्टल इन समुदायों के लिए डेटा स्टोरेज के रूप में भी काम करेगा।
- गौरतलब है कि वर्ष **2015** में इस समुदाय के कल्याण के लिए गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का भी गठन किया गया था।

G20 शिखर सम्मेलन

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023 में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन के आयोजन से संबंधित मामलों की देखरेख के लिए एक सचिवालय स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
- भारत 1 दिसंबर, 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक इस अंतरराष्ट्रीय निकाय की अध्यक्षता करेगा और 2023 G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा।

प्रस्तावित **G20** सचिवालय:

- भारत के G20 प्रेसीडेंसी/प्रेसीडेंसी के बुनियादी/सूचना/सामग्री, तकनीकी, मीडिया, और सुरक्षा और रसद पहलुओं को संभालने के लिए G20 सचिवालय की स्थापना की जा रही है।
- सचिवालय में विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों और डोमेन सूचना विशेषज्ञों के अधिकारी और कर्मचारी होंगे।
- यह सचिवालय फरवरी 2024 तक क्रियाशील रहेगा।

G20 समूह के बारे में:

- G20 दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है।
- यह समूह विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 85 प्रतिशत नियंत्रित करता है, और विश्व की दो-तिहाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है।
- G20 शिखर सम्मेलन को औपचारिक रूप से 'वित्तीय बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन' के रूप में जाना जाता है।

स्थापना:

- 1997-98 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद, यह माना गया कि प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर चर्चा में भाग लेने की आवश्यकता है।
- 1999 में, G7 वित्त मंत्रियों द्वारा G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की एक बैठक पर सहमति व्यक्त की गई थी।

Yojna IAS

प्रेसीडेंसी:

- G20 समूह का कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है और न ही कोई मुख्यालय है। G20 समूह की अध्यक्षता सदस्य देशों द्वारा क्रमिक रूप से की जाती है।
- पीठासीन देश अगले शिखर सम्मेलन के आयोजन और आने वाले वर्ष में छोटी बैठकें आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है।
- गैर-सदस्य देशों को G20 समूह की बैठक में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।
- जी20 की पहली बैठक दिसंबर 1999 में बर्लिन में हुई थी, जब पूर्वी एशिया में वित्तीय संकट ने दुनिया भर के कई देशों को प्रभावित किया था।

G20 के पूर्ण सदस्य:

- अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ।

बदलते समय में G20 समूह की प्रासंगिकता:

- वैश्वीकरण में वृद्धि और विभिन्न मुद्दों की जटिलता को देखते हुए, हाल ही में जी20 शिखर सम्मेलन मैक्रो अर्थव्यवस्थाओं और व्यापार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिनका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सबसे अधिक प्रभाव है – विकास, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा, स्वास्थ्य, आतंकवाद वैश्विक मुद्दे जैसा कि यहूदी विरोधी, प्रवास और शरणार्थी भी केंद्रित हैं।
- जी20 समूह, इन वैश्विक मुद्दों को सुलझाने की दिशा में अपने योगदान के माध्यम से, एक समावेशी और टिकाऊ दुनिया बनाने का प्रयास कर रहा है।

फ्लाई ऐश

- हाल ही में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने 'फ्लाई ऐश कुप्रबंधन' और 2013 और 2020 के बीच दर्ज दुर्घटनाओं पर चल रहे आठ मामलों की एक साथ सुनवाई करने का निर्णय लिया है।
- एनजीटी का निर्णय देश में 'फ्लाई ऐश संकट' की एक महत्वपूर्ण स्वीकृति है, और इस तरह के बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करने के लिए बेहतर नियमों की शुरूआत कर सकता है।

फ्लाई ऐश प्रबंधन और उपयोग अभियान:

- उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फ्लाई ऐश के प्रबंधन और निपटान के संबंध में सभी मुद्दों की निगरानी और समन्वय को सुव्यवस्थित करने के लिए, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (एनजीटी) ने केंद्र सरकार को पर्यावरण और कोयला मंत्रालयों के सचिवों को रखने का निर्देश दिया है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री। सचिवों को शामिल करते हुए एक 'फ्लाई ऐश प्रबंधन और उपयोग मिशन' गठित करने का निर्देश दिया।

Yojna IAS

- मिशन के अधिदेश में फ्लाई ऐश के भंडारण, प्रबंधन, प्रबंधन और उपयोग में व्यापक अंतर को पाटने सहित विभिन्न समितियों (दुर्घटनाओं को देखने के लिए गठित) के निष्कर्षों के आधार पर एक कार्य योजना तैयार करना शामिल है।
- मिशन को एक सीएसआर फंड के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा, और यह एक पर्यावरणीय बहाली और क्षतिपूर्ति निधि के रूप में भी कार्य करेगा जो प्रभावित लोगों के लिए राहत मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा।

'फ्लाई ऐश':

- इसे आमतौर पर 'चिमनी राख' या 'चूर्णित ईंधन राख' के रूप में जाना जाता है। यह कोयले के दहन का उप-उत्पाद है।

फ्लाई ऐश का संयोजन:

- यह कोयले से चलने वाले बॉयलरों से निकलने वाले महीन कणों से बनता है।
- फ्लाई ऐश के घटक भट्टियों में जलने वाले कोयले के स्रोत और संरचना के आधार पर बहुत भिन्न होते हैं, लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड (SiO2), एल्यूमीनियम ऑक्साइड (Al2O3) और कैल्शियम ऑक्साइड (CaO) सभी प्रकार की फ्लाई ऐश में पर्याप्त होते हैं।
- फ्लाई ऐश के छोटे घटकों में आर्सेनिक, बेरिलियम, बोरॉन, कैडमियम, क्रोमियम, हेक्सावलेंट क्रोमियम, कोबाल्ट, सीसा, मैंगनीज, पारा, मोलिब्डेनम, सेलेनियम, स्ट्रोंटियम, थैलियम और वैनेडियम पाए जाते हैं। इसमें बिना जले कार्बन के कण भी पाए जाते हैं।

स्वास्थ्य और पर्यावरणीय खतरे:

विषाक्त भारी धातुओं की उपस्थिति:

- फ्लाई ऐश में पाए जाने वाले निकेल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, लेड आदि सभी प्रकृति में जहरीले होते हैं। इनके महीन और जहरीले कण श्वसन तंत्र में जमा हो जाते हैं और धीरे-धीरे जहर का कारण बनते हैं।

विकिरण:

- फ्लाई ऐश परमाणु कचरे की तुलना में सौ गुना अधिक विकिरण उत्सर्जित करता है, क्योंकि परमाणु संयंत्रों और कोयले से चलने वाले थर्मल प्लांट से उतनी ही बिजली उत्पन्न होती है।

जल प्रदूषण:

- फ्लाई ऐश चैनलों के टूटने और इसके परिणामस्वरूप राख के बिखरने की घटनाएं भारत में अक्सर होती हैं, जो काफी हद तक जल निकायों को प्रदूषित करती हैं।

Yojna IAS

पर्यावरण पर प्रभाव:

- पास के कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों से राख के कचरे से मैंग्रोव का विनाश, फसल की पैदावार में भारी कमी, और कच्छ के रण में भूजल के संदूषण को अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है।

फ्लाई ऐश के उपयोग:

- कंक्रीट उत्पादन, रेत और पोर्टलैंड सीमेंट के लिए वैकल्पिक सामग्री के रूप में।
- फ्लाई-ऐश कणों के साधारण मिश्रण को कंक्रीट मिश्रण में बदला जा सकता है।
- तटबंध निर्माण और अन्य संरचनात्मक भराव।
- सीमेंट स्लैग उत्पादन – (मिट्टी के स्थान पर वैकल्पिक सामग्री के रूप में)।
- नरम मिट्टी का स्थिरीकरण।
- सड़क निर्माण।
- ईंट निर्माण सामग्री के रूप में।

कृषि उपयोग:

- मृदा सुधार, उर्वरक, मृदा स्थिरीकरण।
- नदियों पर बर्फ पिघलाने के लिए।
- सड़कों और पार्किंग स्थलों पर बर्फ के जमाव को नियंत्रित करने के लिए।

Swadeep Kumar

Yojna IAS